भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 6022/2012

[2017] 5 एस. सी. आर. 508

हिल व्यू कॉलोनी और अन्य ..... अपीलार्थीगण

बनाम

नागालैंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादिगण

निर्णय

आर. के. अग्रवाल .....न्यायाधिपति

अभय मनोहर सप्रे.....न्यायाधिपति

उच्चतम न्यायालय-निर्देश- प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक औद्योगिक गाँव की नगर परिषद द्वारा एकत्र किए गए जनगणना रिकॉर्ड को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की और अन्य प्रत्यर्थीगणो को इसे स्वीकार नहीं करने का निर्देश देने की मांग की, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने नगर परिषद को उनके द्वारा एकत्र किए गए रिकॉर्ड को रद्द करने का निर्देश दिया-

अपीलकर्ता संख्या संख्या 1-4, जो रिट याचिका में पक्षकार नहीं थे, उन्होंने खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःविभिन्न कारणों से रिट कोर्ट (एकल न्यायाधीश) को वापस भेज दिया गया मामला-सबसे पहले, रिट कोर्ट ने अपीलार्थीगण के रुख को ध्यान में रखे बिना रिट याचिका का फैसला किया, क्योंकि वे मूल रिट याचिका के पक्षकार नहीं थे-दूसरा, अपील कोर्ट को मुद्दों पर फैसला करने के बजाय, अपीलार्थीगण को अपने काउंटर हलफनामे दाखिल करने का अवसर देने के बाद रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को रिट कोर्ट को भेज देना चाहिए था-तीसरा, विवाद की प्रकृति और सभी संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों और बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा कि रिट कोर्ट (एकल न्यायाधीश) को रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेना चाहिए-जनगणना अधिनियम- भारत का संविधान अनुच्छेद 226।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया:

1.वास्तव में, रिट याचिका में शामिल मुद्दा और अपील में इस न्यायालय में लाया गया मुद्दा जनगणना अधिनियम के साथ-साथ नागालैंड राज्य पर लागू कुछ राज्य कानूनों से भी उत्पन्न होता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ चुनौती जनगणना के संबंध में राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी आदेशों की है। [पेरा 10] [511-ई-एफ]

2. मामले को रिट कोर्ट में भेजने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है जैसा कि यहाँ विस्तृत हैः

2. 1 पहला, क्योंकि इसमें अपीलार्थीगण मूल रिट याचिका के पक्षकार नहीं थे, बल्कि पहली बार अपील में पक्षकार बन गए, रिट न्यायालय ने अपीलार्थीगण के रुख को ध्यान में रखे बिना रिट याचिका का फैसला किया। [पेरा11,12] [511-एफ-जी]

2.2 दूसरा, एक बार जब अपीलीय न्यायालय ने अनुमति दे दीअपीलार्थीगण को रिट याचिका के विषय में अपने स्थान को मान्यता देते हुए अपील दायर करने के लिए, अपीलीय न्यायालय को अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में मुद्दों पर निर्णय लेने के बजाय, रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को रिट अदालत को भेज देना चाहिए था, अपीलार्थीगण को रिट याचिका के जवाब में अपने जवाबी हलफनामे दायर करने का अवसर देने के बाद।हालांकि ऐसा नहीं किया गया।[पेरा 13] [511-एच;512-ए]

2. 3 तीसरा, विवाद की प्रकृति और सभी संबंधित पक्षों द्वारा उसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और बाद की घटनाओं को भी ध्यान में रखते हुए जो इस अपील के लंबित रहने के दौरान अस्तित्व में आई हैं, यह सभी

संबंधित पक्षों के हित में होगा कि रिट कोर्ट (एकल न्यायाधीश) रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय ले। [पेरा14] [512-बी-सी]

2. 4 अपीलार्थीगण को रिट याचिका के प्रत्यर्थी संख्या 5 से 9 के रूप में रिट याचिका के जवाब में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने की स्वतंत्रता दी गई। रिट याचिकाकर्ता और अन्य मूल प्रत्यर्थी संख्या.1-4 (राज्य और उसकी एजेंसियों) को भी अपनी दलीलों में संशोधन करने और अतिरिक्त जवाबी हलफनामा/प्रत्युत्तर आदि दायर करके तथ्यों और कानून दोनों पर सभी आपत्तियां उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है। अब सभी मुद्दों पर फैसला करना रिट कोर्ट का काम है।[पैरा 15,16] [512-सी-डी, ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2012 की सिविल अपील संख्या 6022

2010 के रिट अपील (सी) संख्या 23 (के) में दिनांक 05.08.2011 के निर्णय और आदेश और डब्ल्यू. पी.(सी) संख्या117(के) में दिनांक 01.09.2010 के आदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ।

राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सुमिता हजारिका, पी. प्लस लोथा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण के लिए।

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, विक्रमजीत बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जोसेफ अरिस्टोटल, सी. एम. कैनेडी, सुश्री प्रिया अरिस्टोटल, सुश्री के. प्रियदर्शिनी, आशीष

यादव, रोमशा राज, अमित शर्मा, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, जेड. एच. इसाक हैंडिंग, अमित कुमार सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगणों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति...अभय मनोहर सप्रे, 1. यह अपील 2010 की रिट अपील (सी) संख्या 23 (के) में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कोहिमा पीठ द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.08.2011 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थीगण द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया और 2010 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 117 (के) में एकल न्यायाधीश के दिनांकित 01.09.2010 आदेश की पुष्टि की।

2. अपील में शामिल संक्षिप्त विवाद की सराहना करने के लिए आवश्यक सीमा के अलावा हमें तथ्यों को विस्तार से निर्धारित करके आदेश पर बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है।

3. प्रत्यर्थी संख्या 2 (औद्योगिक गाँव रज़ूफे, दीमापुर) ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय (कोहिमा पीठ) में प्रत्यर्थी संख्या 1, 3, 4 और 5 के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की और उसमें निम्नलिखित राहत मांगीः

"(ए) दीमापुर नगर परिषद, दीमापुर को औद्योगिक गाँव रज़ूफे, दीमापुर से अपने कर्मचारियों द्वारा एकत्र किए गए जनगणना रिकॉर्ड को रद्द करने और/या अस्वीकार करने का निर्देश देना और

(ख) प्रत्यर्थीगण को, विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देश दें कि वे दीमापुर नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत जनगणना रिकॉर्ड को स्वीकार न करें, जहां तक कि यह औद्योगिक गांव रझूफे से एकत्र किए गए जनगणना रिकॉर्ड से संबंधित है।

4. रिट याचिका (नागालैंड राज्य और राज्य की अन्य एजेंसियों) के प्रत्यर्थीगण ने अपने जवाबी हलफनामे दायर किए और विभिन्न आधारों पर रिट याचिका का विरोध किया।

5. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1.9.2010 के आदेश द्वारा, वस्तुतः रिट याचिका को अनुमति दी और रिट याचिका के विषय वस्तु के संबंध में राज्य और उसकी एजेंसियों (उसमें उत्तरदाताओं) के खिलाफ प्रमाण पत्र और आदेश का एक रिट जारी किया।रिट कोर्ट द्वारा जारी अंतिम निर्देश इस प्रकार हैः

"तथ्यों की स्थिति में, अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जनरल) जनगणना के प्रभारी अधिकारी, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने डी.एम.सी., दीमापुर के कर्मचारियों द्वारा एकत्र किए गए जनगणना रिकॉर्ड को रद्द करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें

याचिकाकर्ता गांव में नियुक्त आधिकारिक गणनाकारों के माध्यम से जनगणना करने का निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाता है।“

6. इसमें 1 से 4 तक के अपीलार्थी, जो रिट याचिका के पक्षकार नहीं थे और उन्हें रिट न्यायालय के उपरोक्त आदेश के बारे में पता चला, उन्होंने रिट न्यायालय द्वारा जारी अंतिम रिटों से व्यथित महसूस किया, जिसमें खंड पीठ के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति मांगी और रिट न्यायालय के आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी।अनुमति दी गई और तदनुसार अपीलार्थीगण ने रिट अपील दायर की।

7. खंड पीठ ने विवादित आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया और इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को दायर करने के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की।

8. अपीलार्थीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन और प्रत्यर्थीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री विभा दत्ता मखीजा और श्री विक्रमजीत बनर्जी को सुना गया।

9. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को विस्तार से सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के साथ-साथ विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों को भी निर्देश के अनुसार पढ़ने के बाद, हम आंशिक रूप से अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं और विवादित आदेश को दरकिनार करते हुए और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को भी रिट याचिका, जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है, को उसकी फाइल में पुनर्स्थापित करते हैं और रिट कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह रिट याचिका पर कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय ले।

10. वास्तव में, रिट याचिका में शामिल मुद्दा और अपील में इस न्यायालय में लाया गया मुद्दा जनगणना अधिनियम के साथ-साथ नागालैंड राज्य पर लागू कुछ राज्य कानूनों से भी उत्पन्न होता है।इसमें अन्य बातों के साथ-साथ चुनौती जनगणना के संबंध में राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी आदेशों की है।

11. हमारी सुविचारित राय में, मामले को रिट अदालत में भेजने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है जैसा कि यहाँ विस्तृत हैः

12. सबसे पहले, चूंकि इसमें अपीलकर्ता मूल रिट याचिका के पक्षकार नहीं थे, लेकिन पहली बार अपील में पक्षकार बन गए, इसलिए रिट कोर्ट ने अपीलार्थीगण के रुख को ध्यान में रखे बिना रिट याचिका का फैसला किया।

13. दूसरा, एक बार जब अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण को रिट याचिका के विषय में उनके अधिकार को मान्यता देते हुए अपील दायर करने की अनुमति दे दी, तो हमारे विचार में, मुद्दों पर निर्णय लेने के बजाय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में, अपीलीय न्यायालय को अपीलार्थीगण को रिट याचिका के जवाब में अपने जवाबी हलफनामे दायर करने का अवसर देने के बाद रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को रिट अदालत में भेज देना चाहिए था। हालांकि ऐसा नहीं किया गया।

14. तीसरा, विवाद की प्रकृति और सभी संबंधित पक्षों द्वारा उसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और बाद की घटनाओं को भी ध्यान में रखते हुए जो इस अपील के लंबित रहने के दौरान अस्तित्व में आई हैं, हमारी राय है कि यह सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा कि रिट कोर्ट (एकल न्यायाधीश) को रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेना चाहिए।

15.हम, तदनुसार, अपीलार्थीगण को रिट याचिका के प्रत्यर्थी संख्या 5 से 9 के रूप में रिट याचिका के जवाब में अपने जवाबी हलफनामे दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।रिट याचिकाकर्ता और अन्य मूल प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 (राज्य और उसकी एजेंसियों) को भी अपनी दलीलों में संशोधन करने और अतिरिक्त जवाबी हलफनामा/प्रत्युत्तर आदि दायर करके तथ्यों और कानून दोनों पर सभी आपत्तियां उठाने की स्वतंत्रता दी गई है।

16. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने अपने-अपने रुख के समर्थन में इस न्यायालय के समक्ष पक्षों द्वारा तर्क दिए गए सभी मुद्दों पर कोई भी निष्कर्ष दर्ज करने से परहेज किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि रिट याचिका अब कुछ बाद की घटनाओं के आलोक में निष्फल हो गई है।अब ऐसे सभी मुद्दों पर फैसला करना रिट कोर्ट का काम है।इसलिए रिट अदालत हमारी किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रिट याचिका पर फैसला करेगी। हम विद्वान एकल न्यायाधीश (रिट कोर्ट) से अनुरोध करते हैं कि वे रिट याचिका पर शीघ्रता से निर्णय लें।

17. पूर्वगामी चर्चा और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

बेंचः

आर. के. अग्रवाल .....न्यायाधिपति

अभय मनोहर सप्रे.....न्यायाधिपति

नई दिल्ली

निर्णय की तारीख .... 21 अप्रैल, 2017

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा